न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2022 (2022/220)

1. रामप्रसाद पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
——अप्रार्थी

उपस्थितः—

श्री हनुमान प्रसाद शर्मा — वकील प्रार्थी

पैरोकार सरकार (जरीये तहसीलदार केकडी) — अप्रार्थी

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

—:निर्णयः—

दिनांकः— 02.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प निमोद में पेश हुई। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम रणजीतपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
206—892	870	0.12	बारानी 1
	किता 1	रकबा 0.12 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है तथा न ही वास्ता सरोकार है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी में आने जाने का एकमात्र पुराना रास्ता जो करीब 30 फीट चौडा है जो खसरा नम्बर 2071 सरकारी आम रास्ते से होकर सिवायचक खसरा नम्बर 2070, 867 में स्थित है तथा उक्त आराजी खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमि है। अप्रार्थी जो कि लेण्डलोर्ड होने के कारण दिनांक 20.08.2021 से ही उक्त आराजी को अन्य सरकारी प्रयोजन हेतु काम में लेने बाबत कहते हुए उक्त कदीमी रास्ते को बंद करते हुए रास्ते में से प्रार्थी को आने जाने हेतु मना किया जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी को काश्त करने के लिए कृषि यंत्र, ट्रेक्टर, बैलगाडी आदि से कृषि उपज लाने एवं पशुओ वगैरह के आने जाने में बाधा उत्पन्न होगी एवं प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी को काश्त करने से वंचित हो जायेगा तथा प्रार्थी के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडेगा जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2070, 867 जो कि सरकारी भूमि है में स्थित कदीमी रास्ता जो कि 30 फीट चौडा है को खुलासा करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में भी रास्ते का इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उक्त मौका रिपोर्ट शामिल ...

केकड़ी द्वारा जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है –

तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मोका रिपोर्ट / जवाब सरकार निम्नानुसार है–

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम रणजीतपुरा के खसरा नम्बर 870, 871 प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थी वर्तमान में खसरा नम्बर 873 की पूर्वी मेड से खसरा नम्बर 870, 871 में आवागमन कर रहा है।
3. प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से स्वीकृत रास्ता खसरा नम्बर 2071 किस्म गै.मु.रास्ता निकलता है। संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है।
4. वर्तमान में प्रार्थी खातेदार भूमि पर खसरा नंबर 2071 किस्म गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 2070 व 867 से होकर आमागमन सुविधाजनक रहेगा।
5. उपरोक्तानुसार रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीकी एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता नही दिया जा सकता।
6. प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत पर आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
7. प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 2070 में से 30 x 6 = 180 वर्गमीटर, एवं खसरा नम्बर 867 में से 20 x 6 = 120 वर्गमीटर, कुल 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 332027/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 24902/– रूपये बनते हैं।
8. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

वरवक्त सुनवाई पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया। पेरोकार सरकार को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया रास्ता ही उपर्युक्त प्रतीत होता है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तावित ग्राम रणजीतपुरा के खसरा नम्बर 2070 में से में से 30 x 6 = 180 वर्गमीटर, एवं खसरा नम्बर 867 में से 20 x 6 = 120 वर्गमीटर, कुल 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 332027/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 24902/– (चोबीस हजार नौ सो दों) रूपये बनते है। अतः उक्त राशि जमा कराने पर मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार रास्ता सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश आज प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प निमोद में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी